

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक विक्रय विलेख
2. बोर्ड परगना रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।.....
3. मोहल्ला/ग्राम रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)....भूखण्ड सं०-....42...श्रेणी ए..... सेक्टर-....2.....गंगा इक्लेव.
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) वर्गमीटर.....
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल162.00 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 12.00 मीटर रोड
8. सम्पत्ति का प्रकार- प्लॉट/प्लेट/मकान/दुकान/कृषिभूखण्ड
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)
10. कुल आच्छादित क्षेत्रफल+.....
11. स्थिति-फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य
12. पेड़ों का मूल्यांकन
13. बोरिंग/कुँआ/अन्य
14. निर्मित क्षेत्रफल
15. निर्माण का वर्ष
16. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है। हाँ/नहीं बी०डी०ए०
17. प्रतिफल की धनराशिरु०- 44,97,793.00.....

चौहद्दी

पूरब - भूखण्ड सं०-ए/47

उत्तर - भूखण्ड सं०-ए/43

प्रथम पक्ष की संख्या (.....01.....)

पश्चिम - 12.00 मीटर रोड

दक्षिण - भूखण्ड सं०-ए/41

द्वितीय पक्ष की संख्या (.....02.....)

विक्रेता का विवरण

नाम सहकारी अभियन्ता.....

बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली



क्रेता का विवरण

नाम श्री पीयूष सिद्धार्थ

पिता का नाम...श्री राम कुमार.....

स्थायी पता...ए-2/43 कानपुर रोड योजना

सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी

लखनऊ उ०प्र०।

व्यवसाय नौकरी.....

आधार सं०-..... 6309 0591 5568

पैन कार्ड सं०-..... CODPS3068B.....

नाम श्रीमती पारूल चन्द्रा

पति का नाम श्री पीयूष सिद्धार्थ

स्थायी पता...ए-2/43 कानपुर रोड योजना

सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी

लखनऊ उ०प्र०।

व्यवसाय ग्रहणी

आधार सं०-..... 2571 6035 7224

पैन कार्ड सं०-..... CRHPC3478A.....

Piyush



Parul chandra







5411



54111462

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण



बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

रामगंगानगर आवासीय योजना के भूखण्ड का "विक्रय विलेख"

यह विक्रय विलेख दिनांक 25.12.21 को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण (द्वारा अपने उपाध्यक्ष) के प्राधिकृत अधिकारी सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव लिपिक के माध्यम से जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया हैप्रथम पक्ष

तथा

श्री पीयूष सिद्धार्थ पुत्र श्री राम कुमार एवं श्रीमती पारूल चन्द्रा पत्नी श्री पीयूष सिद्धार्थ ,निवासी-ए-2/43 कानपुर रोड योजना सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी लखनऊ। जिसे, इस विलेख में आगे क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है.....द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया जाता है। इस विलेख में शब्द "विक्रेता" में बरेली विकास प्राधिकरण, इसके उत्तराधिकारी, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ में विपरीत न हो एवं शब्द "क्रेता" द्वितीय पक्ष में स्वयं तथा उसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त प्रतिमन्य (-) सर्वदा सम्मिलित होंगे, बशर्ते इसका अर्थ इस संदर्भ के विपरीत न हो।

अतः प्रथम पक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि विकास एवं आवासीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्र रामगंगा नगर आवासीय योजना, बरेली में स्थित भूमि का क्रय/अधिग्रहण तथा उसका विकास करके उस पर विभिन्न भूखण्ड निर्माण किये हैं तथा भूखण्डों की श्रेणी की परिभाषा उक्त योजना के नियमों में दी है तथा क्रेता के पंजीकरण संख्या-जी0एन0 865 के विरुद्ध नकद/स्ववित्त पोषित पद्धति के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2021 को लाटरी-ड्रा करके भूखण्ड आवंटित किया गया है।

यह कि विलेख हेतु रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-2, गंगा इन्क्लेव में स्थित भूखण्ड सं0-42, श्रेणी ए, जिसका क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर है तथा जिसका विवरण इस विलेख के अन्त में संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा लाल रेखांकित है, का मूल्य अंकित रू0 37,26,000/- (रू0 सैतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) का 12% फ्री-होल्ड चार्ज रू0 4,47,120/- (रू0-चार लाख सैतालिस हजार एक सौ बीस मात्र) व पंजीकरण की धनराशि-1,86,300/- (रू0 एक लाख छियासी हजार तीन सौ मात्र) व आवंटन की धनराशि रू0-7,45,200/- (रू0 सात लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) व किस्तों की धनराशि रू0-31,18,001/- (रू0 इकत्तीस लाख अठठारह हजार एक मात्र) व अनुरक्षण शुल्क रू0- 972/- (रू0 नौ सौ बाहत्तर मात्र) व विविध शुल्क रू0-200/- (रू0 दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है तथा क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित सम्पूर्ण मूल्य की धनराशि का भुगतान करके प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है। अतः आवंटी पर कोई ब्याज की देयता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण



Prish Siddharth



Paarul chandera





जिसकी पावती विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है। चूंकि शासनादेश सं०-1639/9-आ-1-95-80 मिस 86 आवास अनुभाग 1, दिनांक 10-5-95 द्वारा भूखण्ड को फ्रीहोल्ड रूप में हस्तांतरित करने के निर्देश दिये हैं।

अतः यह विलेख निम्न प्रकार से संदर्शित करता है :-

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार भूमि का समस्त मूल्य के अतिरिक्त 12% फ्री-होल्ड चार्ज प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या-42 श्रेणी ए, जिसका क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर स्थित रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-2 गंगा इन्क्लेव जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है, फ्रीहोल्ड के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है एवं पूर्ण स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये हैं कि वह अनुसूची "अ" के अनुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।
2. यह कि विक्रय भूखण्ड का कब्जा क्रेता को यह विलेख निष्पादित एवं निबन्धित करा लेने पर दे दिया जायेगा।
3. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड का पूर्ण स्वामित्व सन्निहित करते हुए विक्रय किया गया है।
4. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से विक्रीत आवासीय भूखण्ड की कीमत यह विलेख निष्पादित करने से पूर्व ही प्राप्त कर ली है। चूंकि प्रथम पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि जिस पर उक्त आवासीय भूखण्ड निर्मित है, अधिग्रहीत भूमि है तथा भूमि अर्जन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है। यदि भविष्य में अर्जित भूमि का प्रतिकर सक्षम न्यायालय द्वारा या उत्तर प्रदेश शासन अथवा कलेक्टर बरेली द्वारा बढ़ाया जाता है तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष वृद्धि की गयी धनराशि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम/अन्य सुसंगत अधिनियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मांग पत्र जारी करने का अधिकार रखता है और द्वितीय पक्ष इस वृद्धि की गयी धनराशि को प्रथम पक्ष को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा एवं मांग पत्र की धनराशि को द्वितीय पक्ष से सीधे भू राजस्व के रूप में वसूल कर ले। जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। द्वितीय पक्ष से ली जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का पूरक विलेख प्रथम पक्ष द्वारा बाद में निष्पादित किया जायेगा।
5. यह कि क्रेता उक्त परिसर व उस पर निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को रामगंगा नगर आवासीय योजना के अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुँचती हों। क्रेता बरेली महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न ही करने की अनुमति देगा, इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली



P. S. Sharma



Parul chandea



आवेदन सं०: 202400787008826

विक्रय पत्र

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 3057

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 4497793 स्टाम्प शुल्क- 315000 बाजारी मूल्य - 4498000 पंजीकरण शुल्क - 44980 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 45040

श्री पीयूष सिद्धार्थ,
पुत्र श्री राम कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: ए-2/43 कानपुर रोड योजना सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी लखनऊ

Prig S. Siddarth



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/02/2024 एवं 04:53:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Ramesh Shrivastava

रमेन्द्र श्रीवास्तव
उप निबंधक :सदर द्वितीय
बरेली

24/02/2024

Om Prakash
ओम प्रकाश
निबंधक लिपिक
24/02/2024

प्रिंट करें



6. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड सम्बन्धित अधिकार अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती, एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत् लागू रहेंगे तथा क्रेता द्वारा किये प्रन्सविदे को सभी मानने के लिए वाध्य होंगे तथा प्रत्येक अन्तरण पर शासनादेश संख्या-1829/8-3-18-187 विविध/18 दिनांक 06.11.2018 के अनुपालन में तत्समय प्रचलित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत नामांकन शुल्क प्राधिकरण में देय होगा।
7. यह कि योजना के क्रियान्वयन/भूखण्डों का कब्जा देने के उपरान्त योजना नगर निगम को हस्तांतरित होने तक क्रेता को रख रखाव सम्बन्धी व्यय हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को नियमित रूप से करना होगा।
8. यह कि भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त तीन वर्ष के अन्दर क्रेता को भूउपयोग अनुसार मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराकर आर्किटेक्चरल कन्ट्रोल्ड ड्राइंग के अनुसार ही निर्माण पूरा कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष की अनुमति से निर्माण पूरा करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसमें उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। तीन वर्ष की अवधि में अनुमन्य निर्माण पूर्ण कराकर क्रेता को पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। उक्त अवधि में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में प्राधिकरण को नियमानुसार लेवी का भुगतान करना होगा अन्यथा भूखण्ड का निबन्धन निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जायेगी जो क्रेता को मान्य होगी।
9. यह कि किसी भी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ को नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद संदर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों को सुनवाई करके अपना निर्णय देगा।
10. यह तय किया जाता है कि क्रेता को समस्त श्रेणी से आय जिसमें उसके पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों की आय शामिल है, वह मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आती है तथा उसके/उसकी/उसके नाबालिग बच्चों के पास इस क्षेत्र में कोई भवन व भूखण्ड नहीं है और वह योजना के नियमों के अनुसार उक्त भूखण्ड को पाने के लिए पात्र है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि वह इस सम्पत्ति को पाने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था तो विक्रेता बैनामे को निरस्त करने का अधिकारी होगा और प्राधिकरण के नियमों व शर्तों के अनुसार भवन अधिग्रहण करने का अधिकार होगा।
11. यह कि इस विक्रय विलेख का मूल्यांकन मय 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्जेज अंकन **रु० 44,99,793/-** (रुपये चबालिस लाख निन्यानवे हजार सात सौ तिरानवे मात्र) पर स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अंकन **रु० 3,15,000/-** (रु० तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र) का भुगतान **01 ई स्टाम्प पत्र सं० IN-UP67330665721696W, दिनांक-16.02.2024** के माध्यम से क्रेता द्वारा किया गया है। क्रेता द्वारा शासनादेश सं०-कर एवं अनुबन्धन अनुभाग-7-440/11-2015-700 (111)/2013 दिनांक 30 मार्च 2015 के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। स्टाम्प पत्र क्रेता द्वारा जमा किया गया है और स्टाम्प शुल्क की जिम्मेदारी क्रेता की है।

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली



Pooja Chandra



Rajul Chandra



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3057

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा सहायक अभियन्ता के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव, पुत्र श्री राममूर्ति सिंह यादव

निवासी: बरेली विकास प्राधिकरण बरेली

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1




श्री पीयूष सिद्धार्थ, पुत्र श्री राम कुमार

निवासी: ए-2/43 कानपुर रोड योजना सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 2



श्रीमती पारूल चन्द्रा, पत्नी श्री पीयूष सिद्धार्थ

निवासी: ए-2/43 कानपुर रोड योजना सेक्टर-एफ एक्सटेन्शन एल डी ए कॉलोनी लखनऊ

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री सुभाष गंगवार, पुत्र श्री राम चंद्र

निवासी: 43/5684 एम ई एस-1 100 फुटा रोड बरेली

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री मुकेश कुमार तिवारी, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद

निवासी: कुतलुपुर मकरन्द नगर अकवारपुर माजार चौधरी कन्नौज

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र प्राक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेश्वर श्रीवास्तव .
उप निबंधक : सदर द्वितीय
बरेली
24/02/2024

आम प्रकाश .
निबंधक लिपिक बरेली
24/02/2024

12. यह कि क्रेता समय-समय पर बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिए स्वयं अथवा उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वयंचित्त होकर दिनांक १५/३/२५ को हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गई है।

ऊपर संदर्भित विक्रीत भूखण्ड सं० 42 का विवरण-

रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-2, गंगा इंकलेव में आबंटित भूखण्ड सं०-42 श्रेणी-ए, क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर

कुल क्षेत्रफल	- 162.00 वर्ग मी०		
पूरब भुजा	- 9.00 मी०	-	पश्चिमी भुजा - 9.00 मी०
उत्तरी भुजा	- 18.00 मी०	-	दक्षिणी भुजा - 18.00 मी०

भूखण्ड की सीमाएँ निम्न हैं :

पूरब - भूखण्ड सं०-ए/47
उत्तर - भूखण्ड सं०-ए/43

पश्चिम - 12.00 मीटर रोड
दक्षिण - भूखण्ड सं०-ए/41

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली



Pravil S. Sharma. Praveel chandera





अनुसूची (अ)

1. यह कि विक्रय विलेख की शर्तें भूखण्ड के क्रेता तथा उस भूखण्ड पर निर्मित के अध्यासियों पर लागू होगी और वह दोनों ही इनका पालन करने के उत्तरदायी होंगे।
2. यह कि क्रेता अपने भवन में कूड़ा एव बेकार चीजों को एकत्रित करने के लिए कूड़े दान रखेगा और हर व्यक्ति घर का कूड़ा कचरा तथा रसोई का कचरा उस कूड़ेदान में डालेगा।
3. यह कि कूड़ेदान का कूड़ा आदि रास्ते में बिना किसी जगह गिराये उस स्थान पर डाला जायेगा जो इसके लिए आरक्षित की गई हो।
4. यह कि कूड़ादान या कचरा रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
5. यह कि रिक्त स्थान तथा भवनों के बीच सम्मिलित जगह का प्रयोग पेशावघर के रूप में नहीं किया जायेगा।
6. यह कि विलेख निष्पादन हेतु स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क, फोटो, लिखाई-छपाई हेतु होने वाले व्यय द्वितीय पक्ष आवंटी वहन करेगा। समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार व्यय आवंटी द्वारा देय होगा।
7. यह कि क्रय किये गये भवन/फ्लैटों/भूखण्डों/दुकानों व सम्मिलित जगह तथा गलियों में कूड़ा-करकट नहीं बिखेरा जायेगा तथा पूर्णतः साफ सुथरा रखा जायेगा।
8. यह कि भवन/फ्लैट/भूखण्ड के एवं कालोनी के किसी भाग का प्रयोग खतरनाक ज्वलनशील घृणित पदार्थों को जमा करने आदि हेतु नहीं किया जायेगा।
9. यह कि भवन के किसी भाग में जानवर या मुर्गीखाना बिना उचित प्रबन्ध किये नहीं रक्खे जायेंगे।
10. यह कि कोई सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही किसी सम्मिलित रास्ते, सीढ़ी, जीने का जगह तथा जीने आदि का दुरुपयोग नहीं करेगा।
11. यह कि कोई व्यक्ति जो किसी सवारी गाड़ी को उक्त कालोनी में लायेगा वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उससे रास्ते में किसी को असुविधा न हो तथा रास्ते में आना जाना अवरुद्ध न हो।
12. यह कि उपरोक्त शर्तों को न मानना, इस अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा।

साक्षीगण :-

1. हस्ताक्षर —
नाम — श्री सुभाष गंगवार
पिता का नाम — श्री राम चंद्र
व्यवसाय — अन्य
निवास — 43/5684 एम ई एस-1 100 फुटा रोड बरेली
आधार नं० — 2908 5144 9697

2. हस्ताक्षर —
नाम — श्री मुकेश कुमार तिवारी
पिता का नाम — श्री जगदीश प्रसाद
व्यवसाय — अन्य
निवास — कुतलुपुर मकरन्द्र नगर अकवारपुर माजार चौधरी कन्नौज उ०प्र०।
आधार नं० — 9777 3171 8912

प्रमाणित किया जाता है यह असल की सत्य प्रतिलिपि है :

सहायक अभियन्ता
(विक्रेता)
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली



(क्रेता)

Pooja Sood *Ramulchandra*






विलेख सं०..... वर्ष.....

सम्पत्ति का फोटो

शहरी क्षेत्र, बरेली

मकान नं०/प्लॉट नं०.....42.....श्रेणी ए.....क्षेत्रफल162.00 वर्गमीटर...सेक्टर-2गंगा इंकलेव...
सम्पत्ति स्थित..... रामगंगा नगर आवासीय योजना बरेली।.....
विक्रेता सहायक अभियन्ता, बरेली विकास प्राधिकरण बरेली।
क्रेता श्री पीयूष सिद्धार्थ एवं श्रीमती पारूल चंद्रा



ह० विक्रेता
सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली



ह० क्रेता

Prishad
Parulchandra





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India



नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 1027/81397/00011

Piyush Siddhartha (पीयूष सिद्धार्थ)

सूचना

S/O: Ram Kumar, A-2/43, KANPUR ROAD YOJNA,
SECTOR-F, EXTENTION, L D A Colony, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226012

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।


Date: 03/11/2016

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

INFORMATION

6309 0591 5568

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.



Signature Not Verified
Digitally signed by UIDAI
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA 01
Date: 2016.11.03 09:15:11 IST

मेरा आधार, मेरी पहचान



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है।
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं, इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायित होगी।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पीयूष सिद्धार्थ
Piyush Siddhartha
जन्म तिथि/ DOB: 05/07/1983
पुरुष / MALE



6309 0591 5568

मेरा आधार, मेरी पहचान

पता:

S/O: राम कुमार, ए-2/43,
कानपुर रोड योजना, सेक्टर-
एफ, एक्सटेन्शन, एल डी ए
कॉलोनी, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226012

Address:

S/O: Ram Kumar, A-2/43,
KANPUR ROAD YOJNA,
SECTOR-F, EXTENTION, L D A
Colony, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226012

6309 0591 5568

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT




भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड

Permanent Account Number Card

CODPS3068B



2603202

Name

RUSH SIDDHARTHA

Father's Name

M KUMAR

Date of Birth

07/1983

[Handwritten Signature]

Signature

भारत

धिकार

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 1027/81397/00012

To

पारुल चंद्रा

Parul Chandra

W/O: Piyush Siddhartha

A-2/43 KANPUR ROAD YOJNA

SECTOR-F, EXTENTION

L D A Colony

L D A Colony

Bakshi Ka Talab Lucknow

Uttar Pradesh 226012


8171611309

01/11/2014

187081379



ML870813799FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

2571 6035 7224

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार

Government of India




पारुल चंद्रा

Parul Chandra

जन्म तिथि / DOB : 02/10/1984

महिला / Female



CRHPC3478A

नाम / Name	PARUL CHANDRA		
पिता का नाम / Father's name	RAMESH CHANDRA		
जन्म की तारीख / Date of Birth	02/10/1984		
लिंग / Gender	Female		
			
	हस्ताक्षर / Signature		<p>Signature Not Verified Digitally signed by Income Tax Dept. Date: 2022.03.24 10:56:29 IST</p>

- ✓ Permanent Account Number (PAN) facilitate Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand tax arrears, matching of information and easy maintenance & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer. रखायी सेवा संख्या (PAN) एक करदाता से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने में आसकर विभाग को सहायक होता है, जिसमें करों के भुगतान, आकलन, कर मांग, देयता बकाया, सूचना के विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का आसकर रखरखाव व बदली आदि भी शामिल है।
- ✓ Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962) आसकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए रखायी सेवा संख्या (PAN) का उद्धरण अब अनिवार्य है (आसकर विभाग, 1962 के नियम 114B, का संदर्भ लें)
- ✓ Possessing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000. एक से अधिक रखायी सेवा संख्या (PAN) का रखना या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
- ✓ The PAN Card enclosed contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN Card." सलाह ध्यान दें कि अंतर्निहित नमूना कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऐप द्वारा पठनीय है। Google Play Store पर इस विशिष्ट मोबाइल ऐप को खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।

Cut

आसकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

इस कार्ड के साथ/बिना पर प्रामाण्य अधिनियम लागू/लागू नहीं।

आसकर पर भरोसा करने पर ध्यान दें।

5 नवंबर, 2022 को जारी।

दस्तावेज संख्या: CRHPC/2022/1000



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



मुकेश कुमार तिवारी
Mukesh Kumar Tiwari
जन्म तिथि/DOB: 07/07/1979
पुरुष / MALE



9777 3171 8912

आधार-आम आदमी का अधिकार



भारतीय निर्यात प्रमाण प्राधिकरण
INDIAN EXPORTATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

S/O: जगदीश प्रसाद
तिवारी, कुतलपुर मकरन्द
नगर, अकनारपुर माजार
कौशती, कर्नाल,
उत्तर प्रदेश - 209726

Address:

S/O: Jagdish Prasad Tiwari,
KUTLUPUR MAKARAND NAGAR,
Akanarpur Mazara Chaudhariapur,
Karnauli,
Uttar Pradesh - 209726

9777 3171 8912

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

 भारत सरकार 

 सुभाष गंगवार
Subhash Gangvar
जन्म तिथि / DOB : 01-07-1978
पुरुष / MALE
Mobile No. 9536951587

2908 5144 9697

आधार -आम आदमी का अधिकार

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 

पता:
द्वारा: राम चंद्र, 43/2 एम ई एस 1 100 फूटा रोड, बरेली,
इज्जत नगर, बरेली,
उत्तर प्रदेश - 243122

Download Date: 18-12-2023
4/23

Address
C/O: Ram Chandra,, 43/2 M E S 1 100 Foota Road, ,
VTC: Bareilly, , PO: Izzat Nagar, , Sub District:
Nawabganj, , District: Bareilly, , State: Uttar Pradesh, ,
PIN Code: 243122,

2908 5144 9697 

 1947 |  help@uidai.gov.in |  www.uidai.gov.in

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY, BAREILLY

SITE PLAN

SCHEME NAME :- RAMGANGA NAGAR AWASIYA YOJNA, BAREILLY


SECTOR NO : - 2 (GANGA ENCLAVE)

PLOT NO :- A-42

ALLOTTED TO :- श्री पी.एस. सिद्धांत

PLOT AREA :- 9.00x18.00 = 162.00 SQMT.

SCALE:- N.T.S.



Plot No. A-47

Plot No. A-43

Plot No. A-42

18.00

Plot No. A-41

12.00 Mt. wide Road

सहायक अभियन्ता
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली

Prakash Chandra
Prakash Chandra

BOUNDARIES :-

DIMENSIONS :-

NORTH	Plot No. A-43	18.00 MT.
SOUTH	Plot No. A-41	18.00 MT.
EAST	Plot No. A-47	9.00 MT.
WEST	Road 12.00 Mt Wide	9.00 MT.

NOTE :- SET BACKS AS PER BUILDING BYE-LAWS

SIGN OF ALLOTEE

DRAFTSMAN/SURVEYOR
B.D.A
(Drawing by)

J.E
B.D.A
(Checked by)

A.E
B.D.A

आवेदन सं०: 202400787008826

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15333 के पृष्ठ 269 से 286 तक क्रमांक 3057 पर दिनांक 24/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमेन्द्र श्रीवास्तव

उप निबंधक : सदर द्वितीय बरेली

24/02/2024



Handwritten signature and official stamp of the District Registrar, Bareilly.

BOUNDARIES:-	
Plot No. A-43	NORTH
Plot No. A-41	SOUTH
Plot No. A-47	EAST
Road 12.00 Mtr Wd	WEST

NOTE - SEE PAGE 22 FOR BOUNDARY DETAILS

AE B.D.A. (Checked by) JE B.D.A. (Drawing by) DRAUGHTSMAN/SURVEYOR SIGN OF ALLOTTEE



कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली (उ०प्र०)
Website : www.bdainfo.org, email : bdabareilly@yahoo.com, blyda@up.nic.in

कब्जा प्रमाण पत्र

भवन/भूखण्ड/दुकान (व्यवसायिक/आवासीय)

सम्पत्ति अधिकारी के पत्रांक 3651 दिनांक 24.02.2024 के अनुसार, योजना का नाम:- रामगंगा नगर आवासीय योजना के, सेक्टर-02 गंगा इन्क्लेव में भूखण्ड संख्या:-42 श्रेणी-ए क्षेत्रफल-162.00 वर्ग मीटर का कब्जा दिनांक 24.02.2024 को आवंटी श्री पीयूष सिद्धार्थ को दिया गया।
चौहद्दी का विवरण:-


उत्तर Plot No. A-43

दक्षिण Plot No. A-41

पूर्व Plot No. A-47

पश्चिम Road 12.00 m. wide

प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का कब्जा संतोषजनक स्थिति में आवंटी को दिया गया।

कब्जा देने वाले का हस्ताक्षर


नाम:- K.K. SHARMA

अवर अभियन्ता

बरेली विकास प्राधिकरण


प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर (आवंटी)

नाम:- श्री पीयूष सिद्धार्थ

पिता का नाम-श्री राम कुमार

पता- ए-2 /43 कानपुर रोड योजना, सेक्टर-एफ,
एक्सटेशन एल0डी0ए0 कॉलोनी लखनऊ उ0प्र0।

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता


बरेली विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

1. सम्पत्ति अधिकारी को आवंटी की मूल पत्रावली में संलग्न कराने हेतु सूचनार्थ।
2. गार्ड फाइल अभियन्त्रण खण्ड।

सहायक अभियन्ता